न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 31/2021

अनवान : –

1. रोशनी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
2. कालुराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
3. बलवानसिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
4. राजकुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
5. रामसिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6. शिशपाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
7. सन्दीप पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
8. सुनिल कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीया**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 68/63 के प.न. 378/470 मु.न. 38 के किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर, 3 की 0. 2530 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर 9 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/471 मु.न. 40 के किलता नं. 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, कुल 7 खसरेजात की 1.7710 हैक्टर भूमि सायला के नाम एवं रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 12/12 के प.न. 377/469 मु.न. 18 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर, 25/1 की 0.2150 हैक्टर 25/2 की 0.0330 हैक्टर, प.न. 377/470 मुन. 37 के किला नं. 3/1 की 0.2280 हैक्टर, 3/2 की 0.0250 हैक्टर, 4/1 की 0.2280 हैक्टर 4/2 की 0.0250 हैक्टर 7 की 0.2530 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/3 की 0.0130 हेक्टर, 17 की 0.2530 हेक्टर, 18 की 0.2530 हैक्टर, 22/1 की 0. 0380 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 377/471 मु.न. 41 के किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर, 3 की 0.2530 हैक्टर, 4/1 की 0.1830 हैक्टर, 8 की 0.2530 हेक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/469 मु.न. 17 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/470 मु.न. 38 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 10 की 0.2530 हैक्टर, 11 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, 21 की 0.2530 हैक्टर, प. न. 378/471 मु.न. 40 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, कुल 26 किता की 6. 0530 हैक्टर भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज है।

गैरसायलान के खेत के प.न.0 377/470 मु.न. 37 के कि खेत में से दक्षिण से उतर की तरफ आम सड़क है सायल उक्त सड़क में अपने खेत में गैरसायलान के प.न. 378/470 के किला नं. 1 में पश्चिम से पूर्व उतरी तरफ चलकर अपने खेत प.न. 378/470 के किला नं. 2 में प्रवेश करती है। सायला का हमेशा से ही यही से आगवामन करती रहती है मगर कुछ समय से गैरसायलान सायला को किला नं. 1 में आवागमन करने से मना करने लगे हे अगर उसका रास्ता बन्द हो जाता है तो उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो जायेगी। तथा उसे ना पुरा होने वाला

Rahul

नुक्शान होगा। जिसकी भरपाई किसी कदर सम्भव नही हो पायेगी इसलिए एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवापाने की अधिकारिणी है।

प्रार्थना पत्र सायला पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के प.न. 378/470 के मु.न. 38 के किला नं. 1 में से पश्चिम से पूर्व उतरी तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि सायला अपने खेत में मंजुर शुदा रास्ता हो सके।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबत रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी स0 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व ऐतराज पेश कर निवेदन किया की मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है एवं रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई थी जबकि राजस्स्व मण्डल अजमरे द्वारा उक्त प्रकरण में मुताबिक ऐतराज रिपोर्ट बनाने के आदेश दिये गये थे जबकि इसको नजर अंदाज करते हुए एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है। रोही मोजा 13 जीजीएम में रोशनी पत्नी रणजीत के नाम इसी खाता में प. न. 378/471 का मु. 40 का किला न. 11,12,19 रास्ता से सटा हुआ है व इसके साथ भतेरी पत्नी जगदीश जो कि सायल के भाई की पुत्रवधु है के नाम इसी मु.न. के किला न. 2,3,4 व 7 ता 10 खाता संख्या 61/54 में दर्ज है यह भूमि भी रास्ता से सटी हुई है व इसके उत्तर दिशा में ओमप्रकाश पुत्र रावताराम सायल का खेत है व खाता संख्या 9/7 के प. न. 378/470 के मु.न. 38 के किला न. 12,13 व 18,19,22.23 व प. न. 378/471 के मु. न. 40 के किला न. 13 कि कुल 1.771 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें जाने के लिए सायल भतेरी पत्नी जगदीश पुत्र रामजीलाल पुत्र रावताराम के प.न. 378/471 के मु.न. 40 के किला न. 10 के मिन उतर में से होकर किला न. 9 के उतरी–पश्चिमी कोना में से होकर किला न. 2 के पश्चिमी दिशा में से होकर ओमप्रकाश अपने खेत में प्रवश करता चला ओ रहा है जो कि सायल के भाई रामजीलाल की पुत्रवधु है वा इस भूमि के पूर्व दिशा में सायल के भाई शिशपाल पुत्र रावताराम कि भूमि खाता संख्या 74/70 के प.न. 378/470 के मु.न. 38 के किला न. 7,14,17,24 व प.न. 378/471 के मु.न. 40 के किला न. 14,15,18 कि कुल 1.771 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 30.10.2000 कि रूह से रामजीलाल, ओमप्रकाश, शिशपाल पुत्रगण रावताराम व रोशनी पत्नी रणजीत को न्यायालय कि घोषणा से प्राप्त हुई इससे पूर्व यह संयुक्त खाता में यह रावताराम पुत्र गणेशाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। इस घोषणा के बाद आज तक रोशनी पत्नी रणजीत व ओमप्रकाश व शिशपाल, भतेरी पत्नी जगदीश पुत्र रामजीलाल पुत्र रावताराम के प.न. 378/471 के मु.न. 40 के किला न. 10 के मिन उतर में से होकर किला न. 9 के उतरी–पश्चिमी कोना में से होकर किला न. 2 के पश्चिमी दिशा में से होकर ओमप्रकाश अपने खेत में प्रवेश करता चला आ रहा है व ओमप्रकाश के खेत में से होकर शिशपाल व रोशनी अपने–अपने खेतो में आवगमन करते चले आ रहे है परन्तु अब इनके आपसी मनमुटाव के कारण सभी भाईयो ने सीधे रास्ते से सम्पर्क बनाने के लिए गैरसायलान को तंग व परशान करने व गैरसायलान कि भूमि के टूकडे करने की नियत से अलग–अलग पश किये है जो कि ओमप्रकाश बनाम कृष्णकुमार व रोशनी बनाम कृष्ण कुमार न्यायालय हाजा में पेश है पटवार हल्का द्वारा रिकॉर्ड का सही तौर से अवलोकन नही किया गया है अत ऐतराज स्वीकार करते हुए पुन मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऐतराज पेश किया गया जिसका अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 68/63 के प.न. 378/470 मु.न. 38 के किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर, 3 की 0. 2530 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर 9 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/471 मु.न. 40 के किलता नं. 11 की 0.2530 हैक्टर, 12 की 0.2530 हैक्टर, 19 की 0.2530 हैक्टर, कुल 7 खसरेजात की 1.7710 हैक्टर भूमि सायला के नाम एवं रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं. 12/12 के प.न. 377/469 मु.न. 18 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर, 25/1 की 0.2150 हैक्टर 25/2 की 0.0330 हैक्टर, प.न. 377/470 मुन. 37 के किला नं. 3/1 की 0.2280 हैक्टर, 3/2 की 0.0250 हैक्टर, 4/1 की 0.2280 हैक्टर 4/2 की 0.0250 हैक्टर 7 की 0.2530 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर, 13 की 0.2530 हैक्टर, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/3 की 0.0130 हेक्टर, 17 की 0.2530 हेक्टर, 18 की 0.2530 हैक्टर, 22/1 की 0.

Rahul

0380 हैक्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर, 24 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 377/471 मु.न. 41 के किला नं. 2 की 0.2530 हैक्टर, 3 की 0.2530 हैक्टर, 4/1 की 0.1830 हैक्टर, 8 की 0.2530 हेक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/469 मु.न. 17 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 378/470 मु.न. 38 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, 10 की 0.2530 हैक्टर, 11 की 0.2530 हैक्टर, 20 की 0.2530 हैक्टर, 21 की 0.2530 हैक्टर, प. न. 378/471 मु.न. 40 के किला नं. 1 की 0.2530 हैक्टर, कुल 26 किता की 6. 0530 हैक्टर भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण रोशनी बनाम कृष्ण कुमार में रोही मौजा चक 13 जीजीएम तहसील नोहर के प.न. 378/470 के मु.न. 38 के किला नं. 1 में से पश्चिम से पूर्व उतरी तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि एक अन्य प्रकरण ओमप्रकाश बनाम कृष्ण कुमार में चक 13 जी.जी.एम. तहसील नोहर के प.न. 378/470 मु.न. 38 के किला नं. 21 में से पश्चिम से पूर्व व दक्षिण तरफ एक – एक बिस्ता रास्ता स्वीकृत स्वीकृत करवाने हेतु यानि की दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये प्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया को अपनी खातेदारी में आवगामन हेतु अन्य कोई विकल्प नही है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता के अलावा गैरसायलान को अपनी खातेदारी में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है एवं उक्त रास्तों से अप्रार्थी की कृषि भूमि के टूकड़े हो जायेगे एवं एक ही खेत में से दो रास्तों की मांग की गई है जो की न्यायोचित नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से प्रार्थी के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व निकटतम है परन्तु पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है जिसके मुताबिक प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है जबकि उक्त प्रकरण रोशनी बनाम कृष्ण कुमार एवं एक अन्य प्रकरण ओमप्रकाश बनाम कृष्ण कुमार दोनो में ही चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470 के किला न0 1 व किला 21 यानि की दो जगहों से रास्तों की मांग की गई है जबकि एक ही किला न0 एवं खेत में से दो रास्ते दिया जाना न्यायोचित नही है जबकि चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470 के मु0न0 38 के किला न0 10 के दक्षिण दिशा में किला न0 11 के चिपते हुए 1 गठठा रास्ता दिया न्यायोचित है ताकी प्रार्थीया रोशनी व अन्य प्रकरण स0 18/21 में प्रार्थी ओमप्रकाश को एक ही रास्ता से अपनी खातेदारी में प्रवेश हो सके। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है। गैरसायल का ऐतराज स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 378/470 के मु0न0 38 के किला न0 10 के दक्षिण दिशा में 11 के चिपते हुए 1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता की भूमि के बदले सायल के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर सायल की जो भूमि गैरसायलान के चिपती हुई है गैरसायलान के नाम दर्ज की जाती है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार अमल दरामद हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर